124

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर AM 3494-I/16

प्रकरण क्र. ...../...../.....

विषय :– आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

पक्षकार

गणेश प्रसाद सुइयाम उम्र 61 वर्ष पिता श्री रामादीन सुइयाम निवासी म.नं. 947, गली नं. 19 सदर बाजार तहसील व जिला जबलपुर।

विरूद्ध –

अनावेदक – 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
2. श्रीमती कुसुम कुशवाहा उम्र 54 वर्ष पत्नी श्री पुरूषोत्तम कुशवाहा निवासी बगीचा नं. 63 सदर बाजार, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 434/अ–21/2013–14 में की जा रही कार्यवाही एवं अंतरिम आदेश दि. 19/09/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी गणेश प्रसाद सुइयाम उम्र 61 वर्ष पिता श्री रामादीन सुइयाम निवासी म.नं. 947, गली नं. 19 सदर बाजार तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम उमरिया प.ह.नं. 16 रा.नि.मं.जबलपुर–2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 65/1, 65/1/1, 65/2 रकबा क्रमशः 0.125, 0.251, 0.353 हे. कुल 0.729 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्रीमती कुसुम कुशवाहा उम्र 54 वर्ष पत्नी श्री पुरूषोत्तम कुशवाहा निवासी बगीचा नं. 63 सदर बाजार, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र (Annexure-2) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- न्यायालय कलेक्टर जबलपुर द्वारा आदेशिका दिनांक 09/09/2014 के माध्यम से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। न्यायालय कलेक्टर जबलपुर की आदेशिका दिनांक 03/12/14, 23/05/15, 08/06/14, 14/09/15, 14/12/15, 21/03/16, 27/06/16 एवं 19/09/16 में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3494/एक/2016 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-10-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 434/अ–21/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि ग्राम उमरिया प.ह.न.16 रा.नि.म. जबलपुर – 2 तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 65/1, 65/1/1, 65/2 रकवा क्रमशः 0.125, 0.251, 0.353 है0 कुल रकवा 0.729 है0 अनावेदक क्रमांक 2 श्रीमती कुसुम कुशवाहा के हित में विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर जबलपुर द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को पंजीबद्व कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण में विक्रय अनुमति नहीं दी गयी। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का	

अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास कुछ भूमि शेष बचेगी। जिससे वह उपरोक्त भूमि की विधिवत् देखभाल कर कृषि कार्य करेगा आवेदक अपने आवेदन पत्र में दर्शायी गयी भूमि को इसलिये भी विक्रय करना चाहता है क्योंकि भूमि विक्रय का अनुबंध पत्र विधिवत् रूप से सम्पादित कर लिया गया है ऐसी स्थिति में उसे उपरोक्त भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो उपरोक्त भूमि से उसे लाभ के स्थान पर हानि होगी। इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति दी जाना आवश्यक है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र कि विधिवत् जॉच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर द्वारा की गयी थी। तथा प्रकरण में समस्त अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन दिये गये थे। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार कर भूमि विक्रय किये जाने के अनुमति दी जानी चाहिये थी। किन्तु प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त दिशा में कोई कार्यवाही नही की गयी है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं कार्यवाही निरस्त की जाये। अंत में आवेदक अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी को स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला जबलपुर का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 19.09.2016 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ जॉच हेतु गया एवं जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 19.09.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

6– आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति एवं उसके द्वारा किया गया विक्रय का अनुबंध पत्र तथा पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :–

1– पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जॉच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2– प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व–अर्जित भूमि है। अर्थात शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3– पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4– आवेदक अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि

भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

7– प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व–अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7–ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के आधार पर अनावेदक क्रमांक 2 श्रीमती कुसुम कुशवाहा के साथ के साथ किया गया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से अधिक विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 434/अ—21/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम उमरिया प.ह.न.16 रा.नि.म. जबलपुर – 2 तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 65/1, 65/1/1, 65/2 रकवा क्रमशः 0.125, 0.251, 0.353 है0 कुल रकवा 0.729 है0 भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य